



## कार्यालय विक्रय अधिकारी

बारां नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बारां प्रधान कार्यालय, नियर बस स्टेण्ड-बारां टेलीफोन 07453-230084

कमांक :- 658-665

-:पूर्व स्थगित विक्रय की उद्घोषणा :-

दिनांक:-09.02.2026

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की धारा 99-100 के अन्तर्गत चूक करने वाले श्री अन्तिम सोनी पुत्र श्री स्व० शंकरलाल जी सोनी जाति सुनार निवासी-भैरुपाडा अन्ता जिला-बारां राजस्थान से बैंक बकाया तथा कुर्की/बिक्री का खर्चा वसूल करने के लिए निम्न प्रकार वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु निम्न अधोहस्ताक्षर कर्ता को न्यायालय उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियों बारां द्वारा विक्रय अधिकारी नियुक्त किया गया है। विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिनांक-12.03.2026 को दिन के 03:00 बजे से स्थान-बारां नागरिक सहकारी बैंक लि० शाखा अन्ता आई.सी.आई.सी.आई बैंक वाली गली के सामने कोटा-बारां रोड अन्ता जिला बारां पर सार्वजनिक रूप से खुली बोली के द्वारा नीलाम/विक्रय किया जावेगा। तथापि बोली समाप्त होने से पहले बकाया राशि तथा खर्चा चुका दिये जाने की स्थिति में विक्रय बन्द कर दिया जावेगा। नीलामी की शर्तें बैंक की वेबसाइट [bnsb.bank.in](http://bnsb.bank.in) एवं बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड, बारां से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। नीलामी दिनांक:-12.03.2026

क्र	रहन एवं विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	नीलामी दिनांक	नीलामी समय	नीलामी स्थान	बकाया ऋण राशि (रु०)	जमानतदार
1	सम्पत्ति मालिक श्रीमति कैलाश बाई पत्नि श्री शंकरलाल सोनी जाति सुनार निवासी-भैरुपाडा अन्ता जिला-बारां (राज०) की अचल सम्पत्ति ब्लूप्रिन्ट नक्शा, पट्टा विलेख क्रं नं. 30, पत्रावली संख्या व दिनांक 64/11.02.2003, निर्णय दिनांक:- 08.01.2004 एवं उपपंजीयक अन्ता जिला बारां मे रजिस्टर्ड दिनांक-19.03.2004 के अनुसार अचल सम्पत्ति/मकान/कच्चा/पक्का एवं ब्लुप्रिन्ट नक्शा /अचल सम्पत्ति का माप/साईज:-19.6 x 21 = 409.5 वर्गफीट यथास्थिति मौकानूसार पूर्व- आम रास्ता पश्चिम-श्री यासीन पठान का मकान उत्तर-श्री मोहनलाल जी सोनी का मकान दक्षिण-आम रास्ता	12.03.2026	दिन के 03:00 बजे से	बारां नागरिक सहकारी बैंक लि० शाखा अन्ता आई.सी.आई बैंक वाली गली के सामने कोटा-बारां रोड अन्ता	बकाया ऋण- 774168.00 रु 31.01.2026 तक एवं ब्याज ता तारीख तथा 10 प्रतिशत कुर्की बिक्री खर्चा बैंक नियमानुसार अलग से देय होगा	1. श्री रमेशचन्द सोनी पुत्र श्री मोहनलाल निवासी निमडी पाडा अन्ता 2. श्री अंकुर सोनी पुत्र श्री रामस्वरूप सोनी निवासी- भैरुपाडा अन्ता

नीलामी की शर्तें :-

- रजिस्ट्रेशन राशि 5000/-रु० रहेगी, जो बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/वसूली अधिकारी के पास दिनांक-12.03.2026 को 11 बजे से दिन के 03 बजे तक नकद जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु इस रसीद का होना आवश्यक है।
- नीलामी बोली में बोलीदाता ही स्वयं उपस्थित होंगे, अन्य किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध होगा। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को अपना फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटो, पेन कार्ड, आधार कार्ड स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कर नीलामी बोली में रजिस्ट्रेशन राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- प्रथम न्यूनतम बोली आरक्षित मूल्य से अधिक होगी उसके बाद प्रति 1000/-रु० के गुणक मूल्य में नीलामी बोली बढ़ती रहेगी।
- नीलामी की अन्तिम बोली जिस व्यक्ति के नाम समाप्त होगी उसे बोली समाप्त के बाद 25 प्रतिशत राशि उसी दिन या 01 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, उक्त समयावधि में राशि जमा नही होने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- शेष बकाया नीलामी राशि 15 दिवस में बैंक के प्रधान कार्यालय नियर बस स्टेण्ड बारां में उक्त खाता संख्या-001130901150130 में जमा करानी होगी। 15 दिवस में शेष नीलामी राशि जमा न होने की दशा में धरोहर राशि सहित 25 प्रतिशत जमा राशि भी जब्त कर ली जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं बोली दाता की होगी।
- यदि प्रथम बोलीदाता उक्त नीलामी बोली राशि जमा नही कराता है तो बैंक को अधिकार होगा कि द्वितीय बोलीदाता के पक्ष में नीलामी बोली छोड सकता है अथवा नीलामी निरस्त कर सकता है।
- नीलामी बोली उस समय तक अस्थाई होगी, जब तक प्राधिकृत अधिकारी उसे स्वीकार न करें।
- नीलामी बोली उपरान्त बोलीदाता का नाम उनके द्वारा दिए गए रिकार्ड अनुसार ही मान्य होगा बाद में कोई परिवर्तन नही होगा।
- यदि ऋणी द्वारा नीलामी दिनांक से 30 दिवस में बकाया ऋण राशि, ब्याज, वसूली खर्च, एवं अन्य नीलामी से संबंधित खर्च सहित जमा करा दी जाती है तो बैंक को नीलामी बोली निरस्त करने का अधिकार होगा तथा बोली दाता की नीलामी राशि बैंक में प्रचलित सैविंग्स ब्याज दर सहित वापस लोटा दी जावेगी।
- चल एवं अचल सम्पत्ति की नीलामी राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत की जावेगी।
- मौके पर सम्पत्ति प्रतिकालिक कब्जा या रचनात्मक कब्जा "जहाँ है, जैसी है" और जो है, जो कुछ भी है"जिसके पास भी है"के आधार पर यथास्थिति मौकानुसार ही नीलाम की जा रही है।
- उक्त अचल संपत्ति पर केन्द्र/राज्य सरकार/निगम/निकाय/संस्था आदि का किसी भी प्रकार का पूर्व/वर्तमान बकाया ड्यूज, एवं सम्पत्ति ट्रान्सफर खर्च क्रेता को वहन करना होगा।
- नीलामी से सम्बन्धित किसी भी कार्यक्रम में परिवर्तन करने, अथवा बिना कोई कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। जमानतदार नीलामी स्थल पर मौजूद रहे।
- विशेष जानकारी किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में बैंक के प्रधान कार्यालय बारां से प्राप्त की जा सकती है। अतः खरीदने के इच्छुक व्यक्ति/सज्जन मौके पर पधारकर बोली लगावे।

84  
विक्रय अधिकारी  
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि०

कृ.प.उ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्नांकित को प्रेषित है :-

- (01) श्रीमान् न्यायालय उप रजिस्ट्रार महोदय, सहकारी समितियों-बारां
- (02) श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, बैंक
- (03) श्रीमान् महाप्रबन्धक महोदय, बैंक
- ✓(04) शाखा प्रबन्धक, मुख्य शाखा बारां/छबडा/तेल फैक्ट्री बारां/प्र0कार्या0शा0 बारां/अन्ता/मांगरोल/अटरू/छीपाबडौद
- (05) ऋणी श्री अन्तिम सोनी पुत्र श्री स्व0 शंकरलाल जी सोनी जाति सुनार निवासी-भैरुपाडा अन्ता जिला-बारां (राज0) को जयें पत्र द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त रहनशूदा सम्पत्ति की नीलामी हेतु विक्रय की उद्घोषणा दिनांक 28.02.2026 के बाद स्थानीय समाचार पत्र मे प्रकाशित करवा दी जाएगी समस्त ऋणी सदस्य एवं जमानतदारान सूचित हों।
- (06) श्री रमेशचन्द सोनी पुत्र श्री मोहनलाल निवासी-निमडी पाडा अन्ता, जिला-बारां 9413515199.....(जमानतदार)
- (07) श्री अंकुर सोनी पुत्र श्री रामस्वरूप सोनी निवासी-भैरुपाडा अन्ता, जिला-बारां 7742452119.....(जमानतदार)
- (08) नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु बैंक की शाखा अन्ता/नगर पालिका अन्ता/तहसील अन्ता/ग्राम पंचायत समिति अन्ता



विक्रय अधिकारी  
बारां नगरिक सहकारी बैंक लि.